न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 136/2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 संगीत कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी खेमू की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरनारायण उम्र 66 वर्ष दत्तक पुत्र सांवलराम।
2 जड़ावली उम्र 63 वर्ष पत्नी हरनारायण।
3 मानसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र हरनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण खेमू की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 राज. काशतकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.09.2017 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बउनवानी संगीत कुमार बनाम हरनारायण मुकदमा नम्बर 96/2017

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश डांगी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुंझुनू)

–निर्णय–

दिनांकः–27-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां एक दावा बउनवानी संगीत कुमार बनाम हरनारायण वगैरह मुकदमा नम्बर 96/2017 का पेश किया। इस दावे में वादी ने खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255/142 रकबा 1.38 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर सरहद खेमू की ढ़ाणी स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है, जिसके मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते है काबिज है। वादी वर्तमान में दिल्ली में नौकरी करता है नौकरी के कारण वह अपने परिवार सहित दिल्ली में ही रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 वृद्वावस्था में है, प्रतिवादी नम्बर 2 के प्रभाव में होने से उक्त काश्त की भूमि को भूमाफिया से मिलकर खुर्द बुर्द करना चाहता है, जिस पर वादी ने उक्त उनवानी दावा अदालत मातहत के यहां पेश किया। जिसमें वादी ने अपने दावे में 1/3 हिस्से यानि 0.75 हैक्टेयर भूमि पूर्व दिशा की तरफ की काश्त करता आ रहा है, काबिज है, लगान अदा करता है, मौके पर इसी प्रकार मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। जिस पर प्रतिवादीगण ने सहमती से दावे में प्रारम्भिक डिक्री अदालत मातहत द्वारा जारी की गई, परन्तु विभाजन प्रस्ताव में वादी को पूर्व दिशा में हक हिस्सा न दिया जाकर उत्तरी दिशा में हक हक हिस्सा दिया गया। खसरा नम्बर 255/142 में पुख्ता कुंआ मय विद्युत कनेक्शन है, जिसका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

भी विभाजन प्रस्ताव में कोई उल्लेख नही होने से विभाजन प्रस्ताव गलत रूप से पेश किया गया है। खेत खसरा नम्बर 142 व 255/142 का विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.07.2017 को अदालत मातहत में पेश किया गया, जिसमें वादी/अपीलांट के हक हिस्से में 0.75 हैक्टेयर भूमि दी गई, परन्तु पूर्वी हिस्से की बजाय पश्चिमि दिशा में दी गई, जो वादी के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नही दी गई। अदालत मातहत ने भूमाफिया के असर में होने से इस पर दूसरा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31.07.2017 को उपखण्ड अधिकारी अदालत मातहत द्वारा दुबारा विभाजन प्रस्ताव के आदेश दिये जाने पर दिनांक 01.08.2017 को विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, जिसमें खसरा नम्बर 142/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर रास्ता दर्शायार गया है, जबकि इस रास्ते की मौके पर कोई जरूरत नी है तथा खसरा नम्बर 142/3 का जो रास्ता काटा गया है, मौके पर ना तो कोई रास्ता है ना ही रास्ते का कोई उदगम है। खसरा नम्बर 255/142 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 270/141, खसरा नम्बर 273/141 साथ लगते हुये है, इसमें से चिड़ावा से डांगर जाने वाली सड़क से पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नम्बर 270/141 एवं खसरा नम्बर 273/141 में से रास्ता 255/142 को लगता है, यह रास्ता मौके पर मौजुद है, उपयुक्त भी है। इस प्रकार अदालत मातहत ने दिनांक 01.08.2017 के विभाजन प्रस्ताव आने से पूर्व ही भूमाफिया से मिलकर दिनांक 21.07.2017 को गलत रूप से अंतिम डिक्री बिना विभाजन प्रस्ताव आने के बावजूद भी पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार चिड़ावा ने मनमाने ढंग से उक्त काश्त की भूमि के कई टुकड़े कर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.07.2017 को पेश करने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अदालत मातहत ने दिनांक 21.07.2017 को अंतिम डिक्री जारी की गई। परन्तु अदालत मातहत द्वारा मनमाने ढंग से कानून की अवहेलना कर दिनांक 15.09.2017 को फिर से दूसरी अंतिम डिक्री जारी की गई, जबकि अदालत मातहत को इस प्रकार दो अंतिम डिक्री जारी करने का कोई कानून अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने उक्त उनवानी वाद पत्र में जवाब दावा पेश किये बिना तनकियात कायम किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। दिनांक 01.08.2017 को विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा पेश करने पर मनमाने ढंग से 142/3 जो कि रास्ता काटा गया है, मौके पर ना तो कोई रास्ता है ना ही कोई रास्ते का उद्‌गम है तथा उक्त खेतो के पांच टुकड़े कर दिये गये जो किसी भी तरह से उपर्युक्त नहीं है। खसरा नम्बर 255/142 में पुख्ता कुंआ मय विद्युत कनेक्शन है, जिसका भी विभाजन प्रस्ताव में कोई उल्लेख नही होने से विभाजन प्रस्ताव अधूरा एवं गलत है। अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उससे मौके पर वादी/अपीलांट द्वारा पेश दावे में कब्जे के अनुसार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा जो विभाजन किया गया है, वह किसी भी पक्षकार के हक में उपर्युक्त नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 36,158, डीएनजे. राजस्थान 1997 पेज 190 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी की और से वाद प्रस्तुत किया गया था वादी की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जा चुके है अब प्रकरण में कोई विधिक ऐतराज शेष नही रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील सारहीन है खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट की और से वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय द्वारा वादी की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसके उपरान्त विभाजन प्रस्ताव आने पर दिनांक 21.07.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। किन्तु विभाजन प्रस्ताव पर वादी के सहमती के हस्ताक्षर नही होने के कारण न्यायहित में दिनांक 28.07.2017 को पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये पुन विभाजन प्रस्ताव आने पर वादी की उपस्थिति में दिनांक 15.09.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की है। वादी अपीलांट द्वारा यह अपील एक साल की देरी से प्रस्तुत की गई है। जिसका कोई समुचित एवं सन्तोषप्रद कारण भी नही बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर